



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

29 श्रावण, 1946 (श०)

संख्या - 539 राँची, मंगलवार,

20 अगस्त, 2024 (ई०)

परिवहन विभाग

संकल्प

13 अगस्त, 2024

सं.-परि.वि.(परि.नि.)-09/2022-1122--

विषय: माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर Writ Petition Civil No.-337/2001 B.S.R.T.C RET./DECEASED EMP.S.MORCHA Vrs. STATE OF BIHAR & ANR with Civil Appeal No. -7290/1994 एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के Curative Petition No.- 19/2022 in RPC No. -785/2021 के दिनांक-09.11.2022 एवं W.P.(S) No.-2115/2015 योगेन्द्र महतो एवं 64 अन्य बनाम् झारखण्ड राज्य एवं अन्य, LPA No.- 264/2016, I.A. No.- 2430 & 4106/2018, योगेन्द्र महतो एवं अन्य बनाम झारखण्ड राज्य तथा Cont. (Civil) No.-356/2020 राजेश्वर पाठक एवं अन्य, Cont. (Civil) No.-366/2020 योगेन्द्र महतो एवं अन्य में पारित न्यायादेश एवं अवमाननावाद (Civil) No.- 807/2023 सुरेश त्रिवेदी एवं अन्य बनाम झारखण्ड राज्य में पारित न्यायादेश के अनुपालन में 619 एवं सदृश्य रिट याचिकाओं में समाहित अन्य बिहार राज्य पथ परिवहन निगम कर्मियों को दिनांक-01.07.2004 से 24.08.2011 के मध्य कार्यरत/सेवा निवृत्त/मृत थे को विभागीय संकल्प सं.-900, दिनांक-12.08.2023-सह-पठित राजकीय गजट सं.-483, दिनांक-14.08.2023 से आच्छादित करते हुए झारखण्ड राज्य में बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के असमायोजित कर्मियों को दिनांक-01.07.2004 से राज्य सरकार में वैचारिक रूप से समायोजन करने एवं देय वित्तीय लाभों की स्वीकृति के संबंध में।

झारखण्ड राज्य के गठन के पश्चात् बिहार राज्य पथ परिवहन निगम से संबंधित वाद (Civil Appeal No.- 7290/1994) माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लंबित होने तथा बिहार एवं झारखण्ड राज्य के बीच आस्तियों एवं दायित्वों के विभाजन के संबंध में समझौता हेतु सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा बिहार पुर्नगठन अधिनियम की धारा 62(3) के उपबंधों के अध्याधीन अधिसूचना संख्या-1127, दिनांक-18.12.2003 एवं अधिसूचना संख्या-54, दिनांक-14.01.2004 द्वारा दिनांक-30.06.2004 के प्रभाव से बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के विघटन एवं दोनों राज्यों के बीच आस्तियों एवं दायित्वों के बँटवारा संबंधी शर्तों एवं प्रावधानों को इंगित किया गया है। इसी प्रसंग में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा माननीय न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) श्री सगीर अहमद की अध्यक्षता में गठित विवाचक समिति (Arbitration Committee) के द्वारा प्रतिवेदन समर्पित किया गया, जो उभय पक्षों को मान्य था। इसी परिप्रेक्ष्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या-7290/1994 में पारित आदेश दिनांक-12.08.2008 में विवाचक समिति के प्रतिवेदन को स्वीकार करते हुए उसमें सन्निहित अनुशंसाओं को यथाशीघ्र अनुपालन सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर Writ Petition Civil No.-337/2001 B.S.R.T.C RET./DECEASED EMP.S.MORCHA Vrs. STATE OF BIHAR & ANR with Civil Appeal No. 7290/1994 में दिनांक-24.08.2011 को पारित न्यायादेश में अंकित है कि "In paragraph 9 of the report, it averred as under. It is stated and submitted that all the employees have been getting regular salaries and up (Sic) February, 2011, there is not (Sic) due".

"We read the aforesaid paragraphs to mean that all the employees of the Corporation, who were allocated to the State of Jharkhand have been duly absorbed in the service of the State Government there".

इस निर्णयादेश के क्रम में राज्य सरकार की ओर से माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एक Modification Application I.A. No.- 32/2012 दायर किया गया, जिसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक-05.10.2012 को पारित आदेश से निरस्त कर दिया गया। दिनांक-24.08.2011 को पारित आदेश का अनुपालन नहीं होने के कारण Jharkhand State Road Transport Employees Association तथा अन्य कर्मियों द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अवमाननावाद संख्या-203/2012, 229/2013, 359/2013 एवं 431/2013 दायर किये गये। सभी अवमाननावादों को पूर्व से दायर Contempt Petition (Civil) No. 411/2013 in W.P(Civil) No.-337/2001 Virendra Sharma Vrs R.S.Sharma & Ors के साथ सम्मिलित करते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक-07.04.2015 को निम्नांकित आदेश पारित किया गया है- "It is not in dispute that the Petitioners have been absorbed with effect from 24th August 2011 and their dues have been paid and in some of the instances is in the process of being paid keeping the date of absorption in mind".

उक्त आदेश के साथ सभी Contempt Petitions एवं I.A. को निरस्त कर दिया गया।

2. मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक-03.03.2015 में घटनोत्तर स्वीकृति हेतु लिये गये निर्णय में यह अंकित किया गया है कि "माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायनिर्णय में सन्निहित निर्देशों को अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। चूँकि यह मामला समायोजन का है, न कि नई नियुक्ति का, अतः संबंधित कर्मियों को सेवा में समायोजित करते हुए अनुमान्य वेतनादि एवं अन्य लाभों का भुगतान सुनिश्चित किया जाय। "

3. असमायोजित निगम कर्मियों से संबंधित W.P.(S) No. 2115/2015 Yogendra Mahto एवं 64 अन्य v/s The State of Jharkhand & others में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक-08.03.2016 के पारित आदेश के विरुद्ध L.P.A. No.-264/2016 I.A. No. 2430 & 4106/2018, Yogendra Mahto & others v/s The State of Jharkhand में माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड में दायर किया गया। उक्त वाद में दिनांक-29.01.2020 को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश का Operative Portion "We accordingly, hold the appellants and the other similarly situated employees, entitled to the benefits of 5th Pay Revision Committee recommendations w.e.f. 01.07.2004, i.e., after the dissolution of the Corporation on 30.06.2004, and 6th Pay Revision Committee recommendations from the dates applicable to the other employees of the State of Jharkhand. The respondent State is accordingly, directed to calculate the dues of the appellants and the other similarly situated employees, including their retiral dues accordingly, and to make the payment of all their dues, including the retirement benefits, positively within a period of six months from today".

4. माननीय उच्च न्यायालय के उक्त आदेश के विरुद्ध माननीय सर्वोच्च न्यायालय में Special Leave to Appeal (C) No(S). 3386/2021 दायर किया गया।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक-01.03.2021 को आदेश पारित किया गया। आदेश का Operative Portion "Heard learned senior counsel for the petitioners. We are not inclined to interfere with the impugned order. The special Leave Petition is, accordingly dismissed".

5. माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक-01.03.2021 के आदेश के विरुद्ध Review Petition R.P.(C) No. 785/2021 in SLP(C) No. 3386/2021 दायर किया गया, जो दिनांक-18.08.2021 को Disposed कर दिया गया। उक्त का Operative Portion "The review petition is dismissed in terms of the signed order".

6. माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उक्त न्यायादेश के विरुद्ध Curative Petition No. 19/2022 in RPC No. 785/2021 दायर किया गया, जिसमें दिनांक-09.11.2022 को न्यायादेश पारित हुआ। Operative Portion:-

"1. The Curative Petition is dismissed in terms of the signed order.

2. Pending application, if any, stands disposed of."

7. साथ ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर S.L.P.(C) No.-20636-37/2022 में दिनांक-03.03.2023 को निम्नांकित न्याय-निर्देश दिए गये हैं-*"In that view of the matter, and particularly when these petitions are being dismissed today, we deem it just and appropriate to grant further time to the petitioners to carry out complete compliance. For that matter, the petitioners are granted further time to carry out compliance within four months from today. For what has been provided hereinabove, we would request the High Court to keep the proceedings in the pending contempt matter in abeyance for a period of four months so as to give the petitioners adequate time to carry out complete compliance and any requirement of personal presence of the officers concerned may be dispensed with. It would be required of the petitioners to report compliance to the High Court within four months from today. Subject to the relaxations and requirements foregoing, these petitions stand dismissed. Pending applications also stand disposed of."*

8. उपरोक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में W.P.(S) No. 2115/2015 Yogendra Mahto एवं 64 अन्य v/s The State of Jharkhand & others में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक-08.03.2016 के पारित आदेश के विरुद्ध L.P.A. No.-264/2016 I.A. No. 2430 & 4106/2018, Yogendra Mahto & others v/s The State of Jharkhand में दिनांक-29.01.2020 को माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड द्वारा पारित न्यायादेश के अनुपालन में तथा Cont. (Civil)

No. 356/2020 Rajeshwar Pathak एवं अन्य बनाम झारखण्ड सरकार और Cont. (Civil) No. 366/2020 Yogendra Mahto एवं अन्य बनाम झारखण्ड सरकार मामले में माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड द्वारा प्रदत्त न्याय-निर्देश के आलोक में बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के विघटन की तिथि अर्थात् दिनांक-01.07.2004 से दिनांक-24.08.2011 के बीच कार्यरत निगम कर्मियों का देय वित्तीय लाभों के भुगतान हेतु राज्य सरकार की सेवा में समायोजन किया जाना विधिसम्मत होने के फलस्वरूप कुल 67 वादियों (संबंधित वादी की संख्या-64 एवं 03 सदृश्य मामले) को राज्य सरकार में वैचारिक रूप से दिनांक-01.07.2004 के प्रभाव से समायोजित करते हुए उक्त असमायोजित निगम कर्मियों को विभागीय संकल्प सं.-900, दिनांक-12.08.2023 के द्वारा अनुमान्य हित लाभों का भुगतान किए जाने का निर्णय लिया जा चुका है। साथ ही माननीय उच्चतम न्यायालय के न्याय-निर्देश के आलोक में निगम कर्मियों की पूर्व की सेवा की गणना वैचारिक रूप से करते हुए सभी सेवांत लाभों का भुगतान वास्तविक रूप से दिनांक-01.07.2004 के प्रभाव से किए जाने हेतु निर्णय एवं एतदर्थ संकल्प राजकीय गजट में प्रकाशित किए जा चुके हैं।

उल्लेखनीय है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अवमाननावाद $\frac{1}{2}$ Civil No.-807/2023 सुरेश त्रिवेदी एवं अन्य बनाम झारखण्ड राज्य के मामले में दिनांक-24.01.2024 को सुनवाई करते हुए टिप्पणी की है- "...the instant case was taken up by the Hon'ble Court today i.e. on 24.01.2024 and the Hon'ble Court has expressed its immense displeasure as the order passed in LPA No. 264 of 2016 dated 29.01.2020 has not been complied with. The Hon'ble Court has directed your good self to file full compliance report before the next date of hearing..."

9. अंकणीय यह है कि माननीय न्यायालयों द्वारा पारित न्याय निर्देश के अनुपालन के क्रम में बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के विघटन की तिथि यथा दिनांक-01.07.2004 से झारखण्ड राज्य में कार्यरत असमायोजित निगम कर्मियों को राज्य सरकार की सेवा में समायोजन करने एवं सेवांत लाभों के संबंध में विभागीय संकल्प सं.-900, दिनांक-12.08.2023 सहपठित राजकीय गजट संख्या-483, दिनांक-14.08.2023 के द्वारा निम्नांकित निर्णय लिया गया है:-

(i) माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के उक्त न्यायादेशों के आलोक में बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के विघटन की तिथि अर्थात् दिनांक-01.07.2004 को झारखण्ड राज्य में अवस्थित चार परिवहन निगम प्रमण्डलीय कार्यालयों राँची, धनबाद, दुमका एवं जमशेदपुर के अंतर्गत कार्यरत असमायोजित निगम कर्मियों को उपरोक्त वादों में सम्मिलित याचिकाकर्ताओं के संलग्न परिशिष्ट 'क' के सूची अनुसार राज्य सरकार की सेवा में समायोजित समझे जाएंगे।

(ii) बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के विघटन की तिथि अर्थात् दिनांक-01.07.2004 को कार्यरत झारखण्ड राज्य अंतर्गत चार पथ परिवहन निगम प्रमण्डलीय कार्यालय, राँची, धनबाद, दुमका एवं जमशेदपुर को उनके चतुर्थ संवर्ग में सभी अर्हताओं को क्षांत करते हुए असमायोजित माना जाएगा एवं इसे पूर्वोदाहरण नहीं माना जाएगा।

(iii) बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के विघटन की तिथि अर्थात् दिनांक- 01.07.2004 को चारो पथ परिवहन निगम-राँची, धनबाद, दुमका एवं जमशेदपुर के चतुर्थ वर्गीय कर्मियों के सेवापुस्ति एवं अन्य देयताओं की जाँच संबंधित जिले के उपायुक्त द्वारा गठित समिति प्राथमिकता के आधार पर करके अनुमान्य बकाया भुगतान हेतु विभाग को उपलब्ध कराएंगे।

(iv) माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर S.L.P.(C) No.-20636-37/2022 में दिनांक-03.03.2023 को पारित आदेश "In that view of the matter, and particularly when these petitions are being dismissed today, we

deem it just and appropriate to grant further time to the petitioners to carry out complete compliance. For that matter, the petitioners are granted further time to carry out compliance within four months from today. For what has been provided hereinabove, we would request the High Court to keep the proceedings in the pending contempt matter in abeyance for a period of four months so as to give the petitioners adequate time to carry out complete compliance and any requirement of personal presence of the officers concerned may be dispensed with. It would be required of the petitioners to report compliance to the High Court within four months from today. Subject to the relaxations and requirements foregoing, these petitions stand dismissed. Pending applications also stand disposed of." माननीय उच्चतम न्यायालय के उक्त आदेश के आलोक में निगम कर्मियों की पूर्व की सेवा की गणना वैचारिक रूप से करते हुए सभी सेवांत लाभ का भुगतान वास्तविक रूप से दिनांक-01.07.2004 से किया जाएगा।

(v) सभी समायोजित निगम कर्मियों का 5th वेतन पुनरीक्षण का लाभ दिनांक- 01.07.2004 से देय होगा तथा षष्ठम वेतन पुनरीक्षण का लाभ प्रभावी तिथि से अनुमान्य होगा। बकाया वेतनादि का भुगतान वित्त विभाग द्वारा समय - समय पर निर्गत दिशा निर्देशों का अनुपालन कर किया जाएगा।

(vi) वित्तीय अतिरिक्त अधिभार होने के कारण भुगतान के पूर्व अतिरिक्त बजटीय उपबंध की आवश्यकता पड़ेगी, जिसमें अनुमानित राशि लगभग 5 (पाँच) करोड़ रुपये व्यय होने की संभावना है।

(vii) समायोजित निगम कर्मियों के सेवानिवृत्ति के उपरांत देय उपार्जित अवकाश अधिकतम 300 दिवस के समतुल्य राशि का भुगतान पुनरीक्षित वेतन के आलोक में नियमानुसार किया जाएगा।

(viii) निगम कर्मियों का देय अंतर राशि का भुगतान माननीय न्यायालय के आदेशानुसार दिनांक-01.07.2004 के प्रभाव से दिया जाएगा। अंतर राशि के भुगतान के क्रम में पूर्व में संबंधित कर्मी द्वारा लिये गये अधिक या कम वेतनादि का उनके पेंशन/उपादान मद से कटौती/सामंजन (Adjust) कर लिया जाएगा।

(ix) W.P.(S) 2115/2015 योगेन्द्र महतो एवं 64 अन्य v/s The State of Jharkhand & others, Cont. (Civil) No. 356/2020 Rajeshwar Pathak & others एवं Cont. (Civil) 366/2020 Yogendra Mahto & others में निहित याचिकाकर्ताओं के अलावे तीन (03) सदस्य असमायोजित निगम कर्मियों को उनके अभिलेखों एवं उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर राज्य सरकार में वैचारिक रूप से दिनांक-01.07.2004 से समायोजित समझे जाएँगे एवं उपर्युक्त कंडिकाओं में अंकित लाभों से लाभान्वित होंगे।

10. समायोजित होने वाले राज्य पथ परिवहन निगम के 619 निगम कर्मियों तथा सदस्यवादों से आच्छादित वादिगणों के सेवा सत्यापन/अभिलेख एवं अन्य देयताओं की जाँच संबंधित जिले के उपायुक्त द्वारा गठित समिति करेगी।

11. समायोजित निगम कर्मियों से अंशदायी पेंशन योजना (NPS) के अंतर्गत की गयी सेवावधि में जमा सरकारी अंशदान (ब्याज सहित) को सरकारी राजकोष में अनिवार्य रूप से जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा।

12. चूँकि विभागीय संकल्प सं.-60, दिनांक-12.01.2024 राज्य सरकार के अधीन राज्य पथ परिवहन निगम के समायोजित निगम कर्मियों से संबंधित है। इसलिए उक्त संकल्प दिनांक-01.07.2004 से 24.08.2011 के मध्य झारखण्ड राज्यान्तर्गत कार्यरत निगम कर्मियों पर सम्प्रति लागू नहीं होगा।

13. दिनांक-01.07.2004 से राज्य सरकार में वैचारिक रूप से असमायोजित निगम कर्मियों के समायोजन करने एवं देय वित्तीय लाभों पर लगभग 50 (पचास) करोड़ रुपये आकलित वित्तीय भार वहनीय होगा।

14. अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में प्रस्ताव:- (i) राज्यान्तर्गत दिनांक-01.07.2004 से 24.08.2011 के मध्य कार्यरत/सेवा निवृत्त/मृत 619 एवं सदृश्य रिट याचिकाओं में समाहित अन्य बिहार राज्य पथ परिवहन निगम कर्मियों को इस राज्य में उक्त निगम के विघटन (Deemed) की तिथि यथा दिनांक-01.07.2004 के प्रभाव से विभागीय संकल्प सं.-900, दिनांक-12.08.2023 सहपठित राजकीय गजट संख्या-483, दिनांक-14.08.2023 द्वारा आच्छादित करने की स्वीकृति प्रदान किया गया।

(ii) उक्त आच्छादन के फलस्वरूप सम्बद्ध निगम कर्मियों को सभी अनुमान्य बकाया वेतनादि सहित सेवांत लाभ यथा उपार्जित अवकाश 240/300 दिवस के समतुल्य अनुमान्य राशि का भुगतान किया जायेगा।

15. प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति परिवहन विभाग के संलेख ज्ञापांक-1012, दिनांक-23.07.2024 के क्रम में दिनांक-07.08.2024 की बैठक में मद सं.-06 के रूप में दी गयी है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

कृपानन्द झा,

सचिव

परिवहन विभाग ।
